राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान
NATIONAL INSTITUTE OF OPEN SCHOOLING
आईएसओ 9001 : 2015 प्रमाणित/ISO 9001 : 2015 certified
(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था)
(An Autonomous Institution Under Deptt. Of School Education and Literacy, Ministry of Education, Govt. of India)

फा. 41-15/2023/एनआईओएस/कार्मिक/10

दिनांक : 05 अप्रैल, 2023

कार्यालय ज्ञापन

ऐसा पाया गया है कि एनआईओएस के अधिकांश कार्मिक अस्वस्थता के कारण परिवर्तित अवकाश के लिए ऐसे डॉक्टरों से प्राप्त प्रिसक्रिप्शन के आधार पर आवेदन कर रहे हैं जो अपने निजी क्लिनिक अथवा निजी अस्पताल से कार्य कर रहे हैं, जो सरकार/एनआईओएस द्वारा अनुमोदित नहीं हैं और जो अवकाश के लिए चिकित्सा प्रमाणपत्र जारी करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में भी नहीं हैं।

जबकि सीसीएस (अवकाश नियम) 1972 के नियम 19 के अनुसार "किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा चिकित्सा प्रमाणपत्र पर अवकाश के लिए किए गए आवेदन के साथ सरकारी अस्पताल अथवा केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना अथवा केंद्रीय सेवाएं (चिकित्सा उपस्थिति) नियम 1944 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल के किसी प्राधिकृत डॉक्टर द्वारा दिए गए निर्धारित प्रपत्र में चिकित्सा प्रमाणपत्र दिया जाएगा" (प्रति संलग्न)।

अत: एतद् द्वारा एनआईओएस के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे अस्वस्थता के कारण परिवर्तित अवकाश के लिए आवेदन करते हुए सरकार/एनआईओएस द्वारा अनुमोदित अस्पतालों का निर्धारित प्रपत्र में चिकित्सा प्रमाणपत्र जमा करें।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(के.एल.गुप्ता)
संयुक्त निदेशक (प्रशा.)

प्रति :

1. सभी विभागाध्यक्ष, एनआईओएस
2. सभी क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय केंद्र एनआईओएस
3. एसए/पी को एनआईओएस की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
4. अध्यक्ष महोदया, एनआईओएस के सूचनार्थ निजी सहायक (अध्यक्ष कार्यालय)
5. सचिव के निजी सहायक
6. एनआईओएस के सभी कार्मिकों के सूचनार्थ नोटिस बोर्ड
7. कार्यालय आदेश फाइल।